

तारीख हुक्म

14.2.18

पत्रावली पेश हुई। वकुलाग उप.  
अनुपस्थित/ पीठासीन अधिकारी  
द्वारे पर/ अन्य कार्य में व्यस्त।  
पत्रावली पूर्ण आदेशानुसार आईन्दा  
दिनांक 7.3.18 को पेश हो

7.3.18

पत्रावली पेश हुई। वकुलाग उप.  
अनुपस्थित/ पीठासीन अधिकारी  
द्वारे पर/ अन्य कार्य में व्यस्त।  
पत्रावली पूर्ण आदेशानुसार आईन्दा  
दिनांक 4.4.18 को पेश हो

4/4/18

पत्रावली पेश हुई। वकुलाग उप.  
अनुपस्थित/ पीठासीन अधिकारी  
द्वारे पर/ अन्य कार्य में व्यस्त।  
पत्रावली पूर्ण आदेशानुसार आईन्दा  
दिनांक 11/5/18 को पेश हो

07  
23/18

पत्रावली पेश हुई। वकुलाग उप.  
अनुपस्थित/ पीठासीन अधिकारी  
द्वारे पर/ अन्य कार्य में व्यस्त।  
पत्रावली पूर्ण आदेशानुसार आईन्दा  
दिनांक 26/09/18 को पेश हो

09  
26/18

पत्रावली पेश हुई। वकुलाग उप.  
अनुपस्थित/ पीठासीन अधिकारी  
द्वारे पर/ अन्य कार्य में व्यस्त।  
पत्रावली पूर्ण आदेशानुसार आईन्दा  
दिनांक 05/12/18 को पेश हो

06  
03/19

पत्रावली पेश हुई। वकुलाग उप.  
अनुपस्थित/ पीठासीन अधिकारी  
द्वारे पर/ अन्य कार्य में व्यस्त।  
पत्रावली पूर्ण आदेशानुसार आईन्दा  
दिनांक 27/03/19 को पेश हो

03  
27/19

पत्रावली पेश हुई। वकुलाग उप.  
अनुपस्थित/ पीठासीन अधिकारी  
द्वारे पर/ अन्य कार्य में व्यस्त।  
पत्रावली पूर्ण आदेशानुसार आईन्दा  
दिनांक 26/6/19 को पेश हो

06  
26/19

पत्रावली पेश हुई। वकुलाग उप.  
अनुपस्थित/ पीठासीन अधिकारी  
द्वारे पर/ अन्य कार्य में व्यस्त।  
पत्रावली पूर्ण आदेशानुसार आईन्दा  
दिनांक 02/08/19 को पेश हो

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	<p>02-08/19 पत्रावली पेश हुई। बकलाग उप. अनुमति / भीतरवा अधिकारी को पत्र / अन्य कार्य में व्यस्त। पत्रावली को आदेशानुसार आईन्द्र दिनांक 25/10/19 को पेश हो।</p>	
25/10/19	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील अधिकारता अनुपस्थित। पत्रावली में आवश्यक पत्रों की हिरागत दी गयी। पत्रावली दिनांक 06/11/19 को पेश हो।</p>	
06/11/19	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील पक्ष अनुपस्थित। ज. पत्र टी. आई. से संबंधित मूल बायपत्र जारी किया जा चुका है। ज. पत्र टी. आई. में आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः ज. पत्र टी. आई. इस पत्र पर जारी किया जाता है। पत्रावली फंसल श्रावण होकर नम्बर से काम हो तथा बाय तन्मूल दाखिल दफ्तर हो। निर्णय पुत्र न्यायालय में सुनाया गया।</p>	